न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 01/2007 राजस्व वाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. गिर्राज पुत्र रामपाल जाति जाट निवासी नसवाड़ा तहसील डीग (मृतक)

1/1– मानसिंह पुत्र किरोड़ी

1/2– करनसिंह पुत्र किरोड़ी

1/3– महाराज सिंह पुत्र किरोड़ी

1/4– भूपसिंह पुत्र किरोड़ी

1/5– जगदीश पुत्र किरोड़ी जातियान जाट निवासी नसवाड़ा तहसील डीग

–वादीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र किशनी जाति जाट निवासी नसवाड़ा तहसील डीग
2. टीकम सिंह पुत्र किशनी
3. माया पत्नी नन्नू
4. रामेश्वर सिंह पुत्र नन्नू
5. होतीसिंह पुत्र नन्नू
6. बुद्धासिंह पुत्र नन्नू
7. रामजीत पुत्र मोहनलाल
8. नानक पुत्र मोहनलाल जातियान जाट निवासी नसवाड़ा तहसील डीग
9. रामदयाल पुत्र गोली जाति जाट्व निवासी नसवाड़ा तहसील डीग
10. विजयराम पुत्र गोली जाति जाटव निवासी नसवाड़ा तहसील डीग
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील डीग

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 27.02.2018

वादी ने यह दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि साबिक आराजी ख0नं0 3895 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा ख0नं0 3887 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा ख0नं0 3888 रकबा 1 विस्वा ख0नं0 3889 रकबा 6 विस्वा बाकै ग्राम नसवाड़ा में स्थित है। जिसे दौराने सैटिलमेन्ट हाल ख0नं0 1009/0.16, 1004/0.25, 1008/0.02, 1007/0.10 व 1042/0.09 बाकै ग्राम नसवाड़ा तहसील डीग में बदला गया है। सैटिलमेन्ट विभाग वालों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी की आराजी को साबिक के मुकाबले कम दर्ज कर दिया और प्रति0 की आराजी साबिक के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिया जबकि सैटिलमेन्ट विभाग वालों को इस प्रकार से रकबों का कम व अधिक करने का अधिकार नहीं था। वादी की साबिक आराजी ख0नं0 3895 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा का था जिसे हाल ख0नं0 1009/0.16 में बदला गया है जिसमें 3 एयर रकबा वादी को कम दर्ज किया है। इसी प्रकार वादी का साबिक ख0नं0 3882 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा का था जिसे हाल ख0नं0 1004/0.25 व 1008/0.02 में बदला गया है जो साबिक के मुकाबले 11 एयर रकबा कम दर्ज किया है। जबकि प्रति0 सं0 1 लगायत 8 का साबिक ख0नं0 3888 रकबा 1 विस्वा का था जिसे दौराने सैटिलमेन्ट हाल ख0नं0 1007/0.10 में बदला गया है जिसमें वादी का 9 एयर रकबा कम मिला दिया गया है प्रति0 का साबिक के मुताबिक हाल 1 एयर रकबा होता है जबकि सैटिलमेन्ट विभाग वालों ने प्रति0 के नाम ख0नं0 1007/0.10 एयर दर्ज कर दिया है जबकि गलत है जिसमें वादी 9/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और निरन्तर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रति0 सं0 9 व 10 रामदयाल व विजयराम का साबिक ख0नं0 3889 रकबा 6 विस्वा का था जिसे दौराने सैटिलमेन्ट हाल ख0नं0 1042/0.09 एयर में बदला गया है जो साबिक के मुकाबले 4 एयर रकबा अधिक दर्ज

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

के पास में प्रति0 का नम्बर था। सैटिलमेन्ट विभाग वालों ने 4 एयर रकबा ख0नं0 1042/0.09 में मिला दिया गया है जबकि प्रति0 का रकबा साबिक के मुताबिक 5 एयर होना चाहिए था। वादी उक्त ख0नं0 1042/0.09 में से 4/9 हि0 का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। शेष 5/9 हिस्से पर प्रति0 सं0 9 व 10 का नाम यथावत रखा जावे। इस प्रकार वादी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। प्रति0 ने धमकी है कि आरजी मुत0 में वादी को काश्त नहीं करने देंगे व आराजी को रहन–वय–मुन्तकिल करके रहेंगे। लिहाजा वादी प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख0नं0 1007/0.10 में से 9/10 हि0 का व आराजी ख0नं0 1042/0.09 में से 4/9 हिस्से का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है व प्रति0 के इन्द्राज को कलमजन करा पाने का अधिकारी है एवं प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का भी अधिकारी है। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जवाबदेही हेतु प्रति0 को जरिये समन तलब किया गया। प्रति0 मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये। प्रति0 सं0 1 लगायत 8 ने अपना जवाबदावा पेश कर कहा है कि वादी ने अपने साबिक ख0नं0 3895 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा से नवीन नम्बर 1009/0.16 में व साबिक ख0नं0 3887 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा से हाल ख0नं0 1004/0.25 व 1008/0.02 बनना बताया गया है जबकि साबिक ख0नं0 3895 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा व 3887 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा के पडौस में ही नवीन ख0नं0 1009/0.16 व 1004/0.25, 1008/0.02 के अलावा ख0नं0 1006/1306/0.11 और बना है जिसे वादी द्वारा जानबूझकर नहीं बताया गया है वादी गलत तरीके पर रकबा की पूर्ति कराना चाहता है वादी क्लीन हैण्ड से नही आया है। वादी ने अपने वादपत्र में साबिक आराजी ख0नं0 से सिर्फ तीन नम्बर 1009, 1004, 1008 का उल्लेख नहीं किया है। साबिक आराजी

ख0नं0 3888 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा से नवीन आराजी ख0नं0 1007/0.10 से वादी अपने रकबा की कभी पूर्ति करने की कथित करके आया है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि साबिक आराजी ख0नं0 3888 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा का नवीन पैमाइश में क्षेत्रफल 19 एयर होता है जबकि नवीन ख0नं0 1007/0.10 जो बनाया गया है वह साबिक के मुकाबले 9 एयर कम आया है इसलिए भी वादी उक्त आराजी से अपने रकबा की कमी पूर्ति करा पाने का अधिकारी नहीं है। वादीगण ने यह दावा महज प्रति0 के तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया है। अतः वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

वादी के दावा व प्रतिवादीगण के जवाबदावा के आधार पर हाल में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी सं0 1 :– आया वादीगण आराजी मुत0 ख0नं0 1007/0.10 में से 9/10 हिस्से के ख0नं0 1042/0.09 में से 4/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।

तनकी सं0 2 :– आया वादीगण प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं।

तनकी सं0 3 :– अनुतोष

पक्षकारान द्वारा दस्तावेजी रिकॉर्ड पेश करने के अलावा मौखिक साक्ष्य भी पेश की। बहस वकील पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी का निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :–

तनकी सं0 1 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रकट है कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 बाकै ग्राम नसवाड़ा में अंकित आराजी ख0नं0 1004/0.25, 1008/0.02, 1009/0.16, 1006/1306/0.11 पर

गिर्राज पुत्र रामपाल कौम फौजदार सा0देह खातेदार के अंकन है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 बाकै ग्राम नसवाड़ा तहसील डीग के अवलोकन से प्रकट है कि अन्य आराजीयात के साथ आराजी ख0नं0 1007/0.10 गै0मु0चाह काशीराम, टीकमसिंह पिस0 मिसरी हि0 1/3 माया धर्मपत्नी नन्नू, रामेश्वर सिंह, होतीराम, बुद्धसिंह पिस0 नन्नू हि0 1/6 रामजीत, नानक पिस0 मोहनलाल हि0 1/2 कौम फौजदार सा0देह खातेदार के अंकन हैं। नकल जमाबन्दी वर्ष 2005 बाकै ग्राम नसवाड़ा में अन्य आराजीयात के साथ आराजी ख0नं0 1042/0.09 रामदयाल, विजयराम पिस0 गोली कौम जाटव सा0देह खातेदार के अंकन हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2040 बाकै ग्राम नसवाड़ा के अवलोकन से प्रकट है कि हाल आराजी ख0नं0 1004/0.25 साबिक ख0नं0 3887 मि0 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा हाल ख0नं0 1009/0.16 साबिक ख0नं0 3895 रकबा 9 विस्वा व हाल ख0नं0 1008/0.02 साबिक ख0नं0 3887 मि0 व हाल ख0नं0 1007/0.10 साबिक ख0नं0 3888 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा से बनना प्रदर्शित किया गया है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2022/2025 बाकै ग्राम नसवाड़ा के अवलोकन से प्रकट है कि अन्य आराजीयात के साथ आराजी ख0नं0 3888 रकबा 1 विस्वा गै0मु0चाह पर किशनी व मोहनलाल पिस0 सामलिया कौम फौजदार सा0देह व0हि0ब0 खातेदार के अंकन हैं तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 बाकै ग्राम नसवाड़ा पर अन्य आराजीयात के साथ आराजी ख0नं0 3889 रकबा 6 विस्वा पर गोली पुत्र तेजा कौम चमार सा0देह पट्टेदार साल 8 के अंकन हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 बाकै ग्राम नसवाड़ा के अवलोकन से प्रकट है कि अन्य आराजीयात के साथ आराजी ख0नं0 3887 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा व ख0नं0 3895 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा पर गिर्राज पुत्र रामपाल कौम फौजदार सा0देह खातेदार के अंकन हैं।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में साबिक आराजी ख0नं0 3887 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा व ख0नं0 3895 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा से बने हाल ख0नं0 1004/0.25, 1008/0.02 व

1009/0.16 में कम आराजी दर्शाई जाकर वाद प्रस्तुत किया जाना प्रकट है। मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 बाकै ग्राम नसवाड़ा में अंकित आराजी ख0नं0 3887 व 3895 के अलावा आराजी ख0नं0 2645 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, 3653 रकबा 14 विस्वा 3683 रकबा 11 विस्वा व 3698 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा भी खाते में अंकित हैं। उक्त खाते में कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 12 विस्वा आराजी अंकित है। वादीगण द्वारा केवल मात्र आराजी ख0नं0 3887 व 3895 से बने हाल नम्बर 1004/0.25, 1008/0.02 व 1009/0.16 बावत् है। उल्लेख किया है जबकि साबिक ख0नं0 3887 मि0 से ख0नं0 1006/1306/0.11 बनना भी प्रदर्शित है। उक्त ख0नं0 1006/1306/0.11 की बावत् कोई उल्लेख नहीं किया है तथा साबिक ख0नं0 3653 रकबा 14 विस्वा रिकॉर्ड पेश नहीं किया है कि उक्त आराजी ख0नं0 139/0.49 का खातेदार कौन है तथा साबिक ख0नं0 3698 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा से कौनसा नया नम्बर बना है तथा किसी खातेदारी में दर्ज है रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। जबकि वादीगण के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 बाकै ग्राम नसवाड़ा में पूर्व खाते में अंकित सभी खसरा नम्बरान किता 6 कुल रकबा 9 बीघा 12 विस्वा से बने सभी हाल नम्बरान का रिकॉर्ड पेश करना चाहिए था। वादीगण का साबिक ख0नं0 3653 का रकबा 14 विस्वा दर्ज रिकॉर्ड है जबकि मिलान क्षेत्रफल में नवीन ख0नं0 139/0.49 बनना प्रदर्शित है। उक्त ख0नं0 का खातेदार वर्तमान में कौन है रिकॉर्ड पेश नहीं किया है, न ही साबिक ख0नं0 3698 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा से बने हाल नम्बरान का भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया जाना प्रकट है। यदि वादीगण की साबिक के अनुसार हाल आराजी में रकबा कम दर्शाया गया है तो सम्पूर्ण खाते में अंकित खसरा नम्बरान का रिकॉर्ड पेश करना चाहिए था। मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल साबिक आराजी ख0नं0 3653 रकबा 14 विस्वा व 3654 रकबा 14 विस्वा से हाल ख0नं0 139/0.49 बनना प्रदर्शित है जो कि दोनों साबिक नम्बर 1 बीघा 8 विस्वा से 49 एयर आराजी बनना अंकित है जो कि

साबिक के मुकाबले काफी वेशी है उक्त खसरा नम्बर का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। हाल ख0नं0 139/0.49 किसकी खातेदारी में दर्ज है प्रकट नहीं हो रहा है। जबकि साबिक आराजी ख0नं0 3653 रकबा 14 विस्वा का वादी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रकट है कि वादीगण का वाद क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया गया है। वादीगण उक्त तनकी को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण किया जाता है।

तनकी सं0 2 :– तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध हुआ है। वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी नहीं पाये गये हैं। अतः इस तनकी का निर्णय भी वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

अनुतोष–

तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध हुआ है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वाद वादीगण काबिले खारिजी के है।

उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

अतः आदेश है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से दावा वादीगण प्रमाणित न होने पर खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु0 6–7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 01/2007 राजस्व वाद

1. गिर्राज पुत्र रामपाल जाति जाट निवासी नसवाड़ा तहसील डीग (मृतक)

1/1– मानसिंह पुत्र किरोड़ी 1/2– करनसिंह पुत्र किरोड़ी

1/3– महाराज सिंह पुत्र किरोड़ी 1/4– भूपसिंह पुत्र किरोड़ी

1/5– जगदीश पुत्र किरोड़ी जातियान जाट निवासी नसवाड़ा तहसील डीग

–वादीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र किशनी जाति जाट निवासी नसवाड़ा तहसील डीग
2. टीकम सिंह पुत्र किशनी 3. माया पत्नी नन्नू 4. रामेश्वर सिंह पुत्र नन्नू
5. होतीसिंह पुत्र नन्नू 6. बुद्धासिंह पुत्र नन्नू 7. रामजीत पुत्र मोहनलाल
8. नानक पुत्र मोहनलाल जातियान जाट निवासी नसवाड़ा तहसील डीग
9. रामदयाल पुत्र गोली जाति जाटव निवासी नसवाड़ा तहसील डीग
10. विजयराम पुत्र गोली जाति जाटव निवासी नसवाड़ा तहसील डीग
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील डीग

–प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिव पक्षकारान मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से दावा वादीगण प्रमाणित न होने पर खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज.....मुवलिंग.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वभाहर.....को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 27.02.2018 माह.....सन्.....को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी

दस्तखत.....डीग (भरतपुर) राज.

मुहर

ओहदा.....

मीजान		रूपया	पैसे	मुद्दालय		रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2					
स्टाम्प वकालतनामा	.....	2		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प बजह सबूत	.....			स्टाम्प अरजी	.....		
महनताना वकील	)पर			महनताना वकील	)पर		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बावत इजराय हुक्मनामा	.....			बावत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफरिक	.....	2		मुतफरिक	.....		